भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2213
दिनांक 31 जुलाई, 2026 को उत्तर के लिए

महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण

2213. **श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः**

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण, संरक्षण, शिक्षा, पोषण और सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान इन योजनाओं के अंतर्गत निधि आवंटित, जारी या उपयोग की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी बिहार सहित राज्यवार/संघ राज्यक्षेत्रवार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने देश में महिलाओं और बच्चों के सामाजिक-आर्थिक विकास पर इन योजनाओं के प्रभाव का आकलन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए कोई नई पहल या सुधार शुरू किए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या सरकार का इन योजनाओं के दायरे को बढ़ाने और वित्तीय सहायता में वृद्धि करने का विचार है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ङ): महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा देश में महिलाओं और बच्चों के कल्याण, संरक्षण, शिक्षा, पोषण और सशक्तीकरण के लिए कार्यान्वित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई है और उन्हें तीन व्यापक मिशनों अर्थात: (1) पोषण एवं स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0; (2) महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए मिशन शक्ति; और (3) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सुरक्षा,

देखरेख और कल्याण के लिए मिशन वात्सल्य में समेकित किया गया है । इन योजनाओं का विवरण इस प्रकार है:

(**i**) **सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0):** 15वें वित्त आयोग में, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं, किशोरियों (14-18 वर्ष) के लिए पोषण सहायता; प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख और शिक्षा [3-6 वर्ष]; आधुनिक, उन्नत सक्षम आंगनवाड़ी सहित आंगनवाड़ी अवसंरचना, पोषण अभियान और किशोरियों के लिए योजना घटकों को मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 (मिशन पोषण 2.0) के तहत पुनर्गठित किया गया है।

मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत, पात्र लाभार्थियों को छह सेवाओं का एक पैकेज प्रदान किया जाता है जिनमें पूरक पोषण (एसएनपी), विधालय-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं शामिल हैं। इन छह सेवाओं में से तीन अर्थात टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच और रेफरल सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और जन स्वास्थ्य अवसंरचना के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत समग्र आयोजना और नीति के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, जबकि इसका दैनिक कार्यान्वयन राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के दायरे में आता है।

इसके अतिरिक्त, किशोरियों के लिए योजना को 01.04.2022 से संशोधित किया गया और इसे मिशन सक्षम आंगनवाड़ी एवं पोषण 2.0 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया। इस योजना का उद्देश्य किशोरियों (14-18 वर्ष) को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करना है ताकि पोषण घटक के अंतर्गत उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार हो सके और गैर-पोषण घटक के तहत उन्हें आईएफए अनुपूरण, स्वास्थ्य जांच एवं रेफरल सेवा, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और कौशल विकास आदि सेवाएं प्रदान की जा सकें। इस योजना की लक्षित लाभार्थी आकांक्षी जिलों और सभी उत्तर पूर्वी राज्यों में 14 से 18 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियां हैं।

(ii)मिशन शक्ति: 'मिशन शक्ति' का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों को मजबूत करना है। यह मंत्रालयों/विभागों और शासन के विभिन्न स्तरों पर समन्वय को बेहतर बनाने के लिए कार्यनीतियां प्रस्तावित करने पर केंद्रित है। मिशन शक्ति में महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा और सशक्तिकरण के लिए क्रमशः 'संबल' और 'सामर्थ्य' नामक दो उप-योजनाएं शामिल हैं।

"संबल" उप-योजना महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा के लिए है। इसमें वन स्टॉप सेंटर (ओएससी), महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल), बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) और नारी अदालत घटक शामिल हैं।

- **वन स्टॉप सेंटर (ओएससी)**-वन स्टॉप सेंटर (ओएससी) पूरे देश में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में हिंसा से प्रभावित और संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही

स्थान पर एकीकृत और तत्काल सहायता प्रदान करता है। यह जरूरतमंद महिलाओं को चिकित्सा सहायता, कानूनी सहायता और सलाह, अस्थायी आश्रय, पुलिस सहायता और मनोसामाजिक परामर्श जैसी सेवाएं प्रदान करता है।

- **महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल)-** महिला हेल्पलाइन (डब्ल्यूएचएल-181) आपातकालीन और गैर-आपातकालीन दोनों स्थितियों में महिलाओं की सहायता के लिए 24 घंटे टोल-फ्री दूरसंचार सेवाएं प्रदान करती है। यह पूरे देश में हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता तथा सरकारी योजनाओं और सेवाओं के बारे में जानकारी देती है।
- **बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी)-** बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना 22 जनवरी 2015 को शुरु की गई थी। इसका उद्देश्य बाल लिंग अनुपात (सीएसआर) तथा जीवन चक्र के दौरान बालिकाओं और महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित मुद्दों का समाधान करने में सहायता देना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ (बीबीबीपी) योजना ने सरकारी एजेंसियों, मीडिया, नागरिक समाज और आम जनता सहित विभिन्न हितधारकों को एकजुट करके एक नीतिगत पहल से राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले लिया है।
- **नारी अदालत-**नारी अदालत योजना ग्राम पंचायत स्तर पर महिलाओं के लिए वैकल्पिक शिकायत निवारण मंच प्रदान करती है। इन अदालतों को पंचायत स्तर पर, संकटग्रस्त महिलाओं को घरेलू हिंसा और लिंग आधारित अन्य हिंसा से संबंधित छोटे मामलों को बातचीत, मध्यस्थता और आपसी सहमति से सुलह के माध्यम से हल करने में सहायता करने का दायित्व सौंपा गया है ताकि उन्हें न्याय मिल सके।

"सामर्थ्य" उप योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। इसमें प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई), शक्ति सदन, सखी निवास, पालना और संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू) घटक शामिल हैं।

- **प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई)-** पीएमएमवीवाई केंद्र प्रायोजित मातृत्व लाभ योजना है जिसके तहत पहले बच्चे के लिए 5,000/-रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक/डाकघर खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से दी जाती है। पात्र लाभार्थियों को शेष नकद प्रोत्साहन राशि संस्थागत प्रसव के बाद, जननी सुरक्षा योजना के तहत मातृत्व लाभ के लिए स्वीकृत मानदंडों के अनुसार प्राप्त होती है, जिससे औसतन एक महिला को 6,000/- रुपए मिलते हैं। पीएमएमवीवाई के तहत दूसरे बच्चे के लिए भी 6,000/- रुपए की नकद प्रोत्साहन राशि दी जाती है, बशर्ते दूसरा बच्चा बेटी हो।
- **शक्ति सदन-** व्यापक 'मिशन शक्ति' के अंतर्गत, कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए पहले की 'स्वाधार गृह' योजना और मानव दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए 'उज्ज्वला गृह' योजना का 1 अप्रैल, 2022 से विलय कर दिया गया जिसे अब 'शक्ति सदन योजना' के नाम से जाना जाता है। यह एक एकीकृत राहत एवं पुनर्वास

गृह है जो संकटग्रस्त महिलाओं, जिनमें दुर्व्यापार की शिकार महिलाएं भी शामिल हैं, के लिए है। इसका उद्देश्य कठिन परिस्थितियों में फंसी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और सहायक वातावरण तैयार करना है ताकि वे प्रतिकूल परिस्थितियों से उबर सकें।

- **सखी निवास-**सखी निवास योजना (कामकाजी महिला छात्रावास) एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसके तहत योजना के कार्यान्वयन के लिए सीधे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि जारी की जाती है और इसका उद्देश्य शहरी, अर्ध-शहरी और यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर मौजूद हैं, वहां कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक स्थानों पर आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है।
- **पालना-**पालना योजना के कार्यान्वयन का उद्देश्य शिशु गृहों (क्रेच) की उपलब्धता का विस्तार करना है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर जगह महिलाओं को काम करने का अवसर मिले और देखरेख संबंधी जिम्मेदारियों के कारण वे कार्यबल से बाहर न रहें। पालना का लक्ष्य 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए डे-केयर शिशु गृह (क्रेच) की सुविधा प्रदान करना है।
- **संकल्प: महिला सशक्तिकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू)-**संकल्प: एचईडब्ल्यू (महिला सशक्तिकरण केंद्र) मिशन शक्ति के सभी घटकों के लिए एक परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य करता है। यह महिलाओं के लिए उपलब्ध योजनाओं और सुविधाओं के बारे में जानकारी और ज्ञान की कमी को दूर करने के साथ-साथ उन्हें लाभ और हक प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाली एकल खिड़की प्रणाली (सिंगल विंडो सिस्टम) के रूप में कार्य करता है।

(**iii**) **मिशन वात्सल्य:** मिशन वात्सल्य [पूर्व में बाल संरक्षण सेवा योजना (आईसीपीएस)] केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है ताकि देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों (सीएनसीपी) और विधि का उल्लंघन करने वाले बच्चों (सीसीएल) के लिए बेहतर पहुंच और संरक्षण सेवाएं प्रदान की जा सकें, इसमें मिशन मोड में संस्थागत और गैर-संस्थागत देखरेख शामिल है जिसका उद्देश्य: (i) कठिन परिस्थितियों में बच्चों की सहायता और पालन-पोषण करना, (ii) विभिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के समग्र विकास के लिए संदर्भ-आधारित समाधान विकसित करना, (iii) नवीन समाधानों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए गुंजाइश प्रदान करना और (iv) यदि आवश्यक हो तो पूरक निधि देकर समन्वित कार्रवाई को सुदृढ़ करना है।

इस योजना के तहत चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) के माध्यम से कठिन परिस्थितियों में फंसे बच्चों के लिए आपातकालीन सहायता सेवाएं (24x7) भी उपलब्ध कराई जाती हैं।

पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

नीति आयोग द्वारा एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) का तृतीय-पक्षीय मूल्यांकन वर्ष 2020 में कराया गया था तथा पुनः महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की सभी योजनाओं का तृतीय-पक्षीय मूल्यांकन वर्ष 2025 में वित्तीय वर्ष 2019 से 2024 की अवधि के लिए कराया गया है। उक्त अध्ययनों में पाया गया है कि मंत्रालय की योजनाएं प्रासंगिक हैं।

मंत्रालय की योजनाओं के कार्यान्वयन, निगरानी और पहुंच में सुधार के लिए की गई पहलें इस प्रकार हैं:

i. अंतिम लाभार्थी तक सेवा प्रदायगी का पता लगाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) ने टेक होम राशन के वितरण के लिए पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन में चेहरे की पहचान प्रणाली (एफआरएस) विकसित की है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ केवल पोषण ट्रैकर में पंजीकृत इच्छित लाभार्थी को ही दिया जाता है। पोषण ट्रैकर में नॉमिनी मॉड्यूल (अपनी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को नामित करना) शुरू किया गया है ताकि लाभार्थियों यथा-गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और किशोरियों को टेक होम राशन (टीएचआर) की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। यदि किसी कारणवश पंजीकृत लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्र जाकर एफआरएस के माध्यम से अपना टीएचआर प्राप्त करने में असमर्थ हैं, तो वे अपनी ओर से किसी नामांकित व्यक्ति को टीएचआर प्राप्त करने के लिए नामित कर सकती हैं।
ii. पीएमएमवीवाई के लिए मार्च 2023 में एक नया पूरी तरह से कागज रहित पोर्टल शुरू किया गया था। पूर्व दिशा-निर्देशों के अनुसार, कागज़ का फॉर्म भरकर आगे की प्रक्रिया के लिए पुराने पीएमएमवीवाई-सीएएस पोर्टल पर अपलोड करने होते थे। नई प्रणाली में कागज़ में आवेदन पत्रों को समाप्त कर दिया गया है और पूर्ण ऑनलाइन समाधान प्रदान किया गया है।
iii. भुगतान, आधार ब्रिज पेमेंट्स सिस्टम के माध्यम से किए जाते हैं, क्योंकि पीएमएमवीवाई पोर्टल पर आवेदकों के पहचान विवरण की पुष्टि के लिए आधार कार्ड आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन (फेशियल रिक्गनिशन सिस्टम के माध्यम से) की सुविधा है।
iv. तीव्र प्रक्रिया के लिए पंजीकरण के समय ही आधार सत्यापन, बैंक खाते का डीबीटी-सक्षम होना आदि जैसी सभी अनिवार्य शर्तों की जांच की जाती है।
v. सभी पंजीकृत लाभार्थियों के लिए आवेदन की स्वीकृति और भुगतान स्थिति की जांच करने हेतु 'खोजें और स्थिति ट्रैक करें' की सुविधा उपलब्ध है।

vi. सभी नागरिकों के लिए पीएमएमवीवाई से संबंधित कोई भी शिकायत दर्ज कराने हेतु शिकायत दर्ज करने और स्थिति का पता लगाने के लिए मॉड्यूल उपलब्ध है। यह मॉड्यूल शिकायत को सीधे कार्यान्वयन अधिकारियों को भेजता है, जिससे समय की बचत होती है और त्वरित समाधान होता है।

vii. पीएमएमवीवाई से संबंधित पूछताछ और शिकायतों के लिए टोल-फ्री एवं बहुभाषी हेल्पलाइन (1515) उपलब्ध है। पारदर्शिता के उद्देश्य से, आवेदकों/लाभार्थियों को आवेदन के पंजीकरण, अस्वीकृति, भुगतान आदि जैसे विभिन्न चरणों पर 12 भाषाओं में से एक में एसएमएस प्राप्त होता है।

viii. विस्तृत निगरानी/विश्लेषण के लिए राज्य/जिला/ब्लॉक/गांव/वार्ड/परियोजना/ सेक्टर/आंगनवाड़ी स्तर पर एमआईएस डेटा तैयार किया जा सकता है।

ix. पोषण ट्रैकर पर गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली माताओ के उपलब्ध डेटाबेस का उपयोग एडब्ल्यूडब्ल्यू/आशा स्तर पर सुलभ पीएमएमवीवाई पोर्टल पर संभावित लाभार्थियों की 'सूची' (Due List) बनाने के लिए किया जाता है।

मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत कवरेज का विस्तार एवं वित्तीय सहायता में वृद्धि योजनागत मानदंडों तथा संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (एपीआईपी)/ कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) प्रस्तावों के आधार पर एपीआईपी बैठकों के दौरान की जाती है।

अनुलग्नक

'महिलाओं और बच्चों का सशक्तिकरण' के संबंध में श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवाल द्वारा पूछे गए दिनांक 31.07.2026 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2213 के भाग (क) से (ङ) में उल्लिखित अनुलग्नक

पिछले तीन वर्षों एवं वर्तमान वर्ष के दौरान मंत्रालय की योजनाओं के तहत जारी की गई निधि का राज्य-वार और वर्ष-वार विवरण।

I. मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27 (20.07.2026 तक)**
1	अंडमान व नोकोबार द्वीप समूह	12.15	9.63	8.1	4.46
2	आंध्र प्रदेश	705.68	645.73	759.76	276.91
3	अरुणाचल प्रदेश	162.06	102.61	118.5	68.52
4	असम	2233.31	2482.34	1548.67	957.74
5	**बिहार**	**1859.29**	**2262.92**	**905.43**	**281.23**
6	चंडीगढ़	19.79	14.56	9.87	5.34
7	छत्तीसगढ़	579.46	733.3	518.22	159.21
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	11.97	9.13	5.92	2.04
9	दिल्ली	161.81	160.41	150.21	71.19
10	गोवा	13.95	13.44	19.74	6.17
11	गुजरात	1126.8	601.32	699.13	173.97
12	हरियाणा	225.78	232.69	67.12	65.35
13	हिमाचल प्रदेश	301.09	313.07	328.59	94.66
14	जम्मू एवं कश्मीर	530.88	662.79	401.62	231.27
15	झारखंड	664.3	496.95	429.26	36.9
16	कर्नाटक	912.96	886.85	863.64	149.96
17	केरल	306.64	435.74	283.81	148.57
18	लद्दाख	19.62	18.89	16.41	8.72
19	लक्षद्वीप	2.88	1.35	0.82	0
20	मध्य प्रदेश	1123.11	1144.54	937.45	451.84
21	महाराष्ट्र	1699.52	1368.84	1405.45	261.47
22	मणिपुर	201.28	342.87	199.99	112.18
23	मेघालय	269.69	137.93	182.04	32.29

24	मिजोरम	100.27	55.29	52.69	23.98
25	नागालैंड	262.91	147.01	146.29	27.99
26	ओडिशा	968.8	948.16	911.27	336.05
27	पुद्दुचेरी	4.48	3.68	4.02	1.26
28	पंजाब	307.87	265.48	190.73	69.13
29	राजस्थान	1091.96	741.85	843.51	175.06
30	सिक्किम	33.49	18.07	18.21	14.62
31	तमिलनाडु	880.79	638.47	636.6	96.3
32	तेलंगाना	507.87	430.76	209.2	154.86
33	त्रिपुरा	244.22	153.41	154.73	42.95
34	उत्तर प्रदेश	2668.69	2694.62	2145.42	808.56
35	उत्तराखंड	288.24	216.33	271.05	99.1
36	पश्चिम बंगाल	1237.56	1513.8	1333.9	305.11

II. मिशन वात्सल्य

(करोड़ रुपए)

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम**	**2023-24**	**2024-25**	**2025-26**	**2026-27 (20.07.2026 तक)**
1	आंध्र प्रदेश	25.01	44.03	38.72	2.01
2	अरुणाचल प्रदेश	24.35	5.32	7.74	1.09
3	असम	59.66	31.39	29.61	6.31
4	**बिहार**	**65.18**	**53.35**	**51.95**	**8.00**
5	छत्तीसगढ़	44.66	39.10	28.79	5.79
6	गोवा	0.00	5.14	3.07	0.77
7	गुजरात	47.10	19.50	2.49	2.89
8	हरियाणा	16.17	6.40	7.85	0.73
9	हिमाचल प्रदेश	21.15	37.68	22.56	2.32
10	जम्मू एवं कश्मीर	43.64	44.75	33.79	5.33
11	झारखंड	37.66	18.73	31.64	0.65
12	कर्नाटक	90.94	86.48	45.48	2.88
13	केरल	22.27	12.03	13.80	2.09
14	मध्य प्रदेश	60.85	117.24	61.82	2.52
15	महाराष्ट्र	95.38	144.97	78.90	3.93
16	मणिपुर	29.24	68.15	34.36	2.75
17	मेघालय	31.28	22.30	42.75	6.09

18	मिजोरम	53.09	37.06	33.65	2.34
19	नागालैंड	29.28	33.92	25.66	1.91
20	ओडिशा	60.28	68.83	51.92	9.69
21	पंजाब	15.44	14.76	13.94	0.97
22	राजस्थान	42.84	74.98	30.43	6.94
23	सिक्किम	5.80	16.21	8.51	0.89
24	तमिलनाडु	128.70	122.82	89.14	18.15
25	तेलंगाना	39.98	36.97	27.26	6.84
26	त्रिपुरा	32.09	19.23	18.11	1.40
27	उत्तर प्रदेश	103.57	92.05	107.15	11.01
28	उत्तराखंड	32.63	14.49	20.14	3.70
29	पश्चिम बंगाल	57.42	70.18	47.50	12.41
30	अंडमान और निकोबार द्वीप	2.68	3.13	3.60	0.20
31	चंडीगढ़	5.83	7.63	4.90	1.04
32	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	3.19	9.91	2.89	0.88
33	दिल्ली	3.89	7.62	6.63	1.40
34	लक्षद्वीप	0.36	0.00	0.09	0.00
35	लद्दाख	4.39	3.81	3.20	0.54
36	पुद्दुचेरी	5.67	4.17	3.21	0.68

III. मिशन शक्ति

(करोड़ रुपए)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (20.07.2026 तक)
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	3.04	0.88	1.70	0.45
2	आंध्र प्रदेश	76.56	50.50	47.73	18.84
3	अरुणाचल प्रदेश	9.03	12.17	11.11	1.50
4	असम	204.96	98.64	39.07	26.61
5	**बिहार**	**1.58**	**151.29**	**218.22**	**38.49**
6	चंडीगढ़	5.32	4.96	6.16	1.94
7	छत्तीसगढ़	30.40	79.56	94.72	15.79
8	दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	2.31	5.26	2.64	1.24
9	दिल्ली	31.45	25.80	8.77	8.30
10	गोवा	0.94	2.68	2.06	0.75
11	गुजरात	97.94	82.39	72.30	13.78
12	हरियाणा	11.71	38.78	33.52	0.29
13	हिमाचल प्रदेश	19.85	31.98	27.30	7.66
14	जम्मू और कश्मीर	58.40	58.88	34.27	7.91
15	झारखंड	13.66	39.51	56.77	6.91
16	कर्नाटक	144.85	174.93	85.62	18.99
17	केरल	69.17	11.15	77.66	7.51
18	लद्दाख-यूटी	1.87	1.93	2.28	0.00
19	लक्षद्वीप	0.69	0.27	0.50	0.00
20	मध्य प्रदेश	136.15	279.83	131.73	52.59
21	महाराष्ट्र	30.32	154.62	160.88	46.88
22	मणिपुर	40.65	26.23	27.84	3.82
23	मेघालय	7.58	10.25	21.91	3.94
24	मिजोरम	14.44	19.59	22.55	5.81
25	नागालैंड	18.63	26.56	12.10	6.06

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27 (20.07.2026 तक)
26	ओडिशा	13.85	57.10	40.84	25.04
27	पुद्दुचेरी	1.37	2.30	3.10	0.26
28	पंजाब	42.89	38.05	38.43	4.94
29	राजस्थान	144.17	106.43	115.84	39.44
30	सिक्किम	5.14	2.90	5.82	0.63
31	तमिलनाडु	44.48	124.85	159.36	38.94
32	तेलंगाना	22.12	16.04	26.31	7.32
33	त्रिपुरा	14.53	13.59	16.51	3.24
34	उत्तर प्रदेश	40.02	34.81	34.39	49.32
35	उत्तराखंड	41.80	28.07	49.11	11.03
36	पश्चिम बंगाल	7.20	6.42	7.92	1.44
